# शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग)

# के अन्तर्गत पूर्व में प्रवेश से वंचित गैर–सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश,

# के लिए पूरक दिशा–निर्देश

# (सत्र 2022–23 से प्रभावी)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रतिवर्ष गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा–01 में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश लिये जाते है। शासन के आदेश क्रमांक पं.8(5) शिक्षा–5/आरटीई दिशा–निर्देश 2022–23/2022 जयपुर दिनांक 20.04.2022 के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022–23 में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा–01 में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश लिये गये थे परन्तु कुछ विद्यालय जिनके द्वारा उक्त आदेशों के क्रम में निःशुल्क प्रवेश नहीं दिये गये, में प्रवेश हेतु निम्न टाईमफ्रेम जारी किया जाता है। इस टाईमफ्रेम के अनुसार प्रवेश से वंचित पोर्टल पर प्रदर्शित विद्यालयों में संबंधित क्षेत्र के दुर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों द्वारा आवेदन किया जा सकता है

**प्रवेश का टाईम फ्रेमः–**

राज्य के प्रवेश से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्सपर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :–

| क्र.सं. | विवरण / गतिविधि | टाइमफ्रेम | दायित्व निर्धारण |
|---|---|---|---|
| 1 | विज्ञापन जारी करना | दिनांक 20.09.2022 | निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय |
| 2 | अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना। | 20 सितम्बर 2022 से 27 सितम्बर 2022 तक | संबंधित अभिभावक |
| 3 | ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना | 29 सितम्बर 2022 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 4 | अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। | 29 सितम्बर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 तक | अभिभावको द्वारा |
| 5 | आवेदन पत्रो की जांच करना (प्रथम चरण) | 29 सितम्बर 2022 से 06 अक्टूबर 2022 तक | गैर सरकारी विद्यालय |
| 6 | विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों जांच नहीं किये जाने पर **auto verfication** | 07 अक्टूबर 2022 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 6 | विद्यालय द्वारा आवेदन को **Correction /reject** किये जाने की शिकायत सीबीईओ/जिशिअ कार्यालय में करना। | 29 सितम्बर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक | अभिभावकों द्वारा |
| 7 | आवेदन पत्र में **Correction** की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना। | 29 सितम्बर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक | अभिभावको द्वारा |
| 8 | विद्यालय द्वारा संशोधित आवेदनो की पुनः जांच करना | 29 सितम्बर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक | गैर सरकारी विद्यालय |
| 9 | पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना। | 14 अक्टूबर 2022 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |

**नोटः**

क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि **"विज्ञापन जारी करना"** के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।

सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया एक ही चरण में आयोजित की जायेगी, शेष शर्ते मूल आरटीई दिशा–निर्देश 2022–23 के अनुसार रहेगी। जो विभागीय वेबसाईट www.rajpsp.nic.in पर उपलब्ध है। मूल दिशा–निर्देशों से द्वितीय चरण की रिपोर्टिंग को विलोपित किया जाता है। जानकारी के लिये अभिभावको व विद्यालयों द्वारा इनका अध्ययन किया जा सकता है।